न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 90/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कैलाशमल सिंघवी 2. महेन्द्रमल सिंघवी 3. सुरेशमल सिंघवी पुत्रगण मुन्नीलाल जी सिंघवी जातिगण जैन ओसवाल निवासीगण झ, भगत की कोटी विस्तार, पाली रोड़ जोधपुर। 4. कंचन मेहता पुत्री श्री मुन्नीलाल जी 5. रूचि जैन पुत्री श्री कैलाश सिंघवी 6. विमला सिंघवी पत्नी श्री रमेश सिंघवी 7. राहुल सिंघवी 8. रौनक सिंघवी 9. रौनम सिंघवी पुत्रगण रमेश सिंघवी जातिगण ओसवाल जैन निवासीगण झ, 4 भगत की कोटी, पाली रोड़, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर		1. उतमजीतसिंह पुत्र श्री दरबारा सिंह जाति सिख राजपुत निवासी 119, ज्योति नगर, 100 फीट रोड़ पार्क के पास, शोभागपुरा गिर्वा उदयपुर राजस्थान। 2. मनप्रित कौर पुत्री श्री दरबारा सिंह पत्नी श्री हरपालसिंह जाति सिख राजपुत निवासी अशोक नगर, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर राजस्थान। 3. परमजीत कौर पुत्री श्री दरबारा सिंह जाति सिख राजपुत निवासी अशोक नगर, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर राज 4. स्व. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रेमराज जाति जैन निवासी जोधपुर के उतराधिकारी वारिसान 4/1 संजय जैन पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश, 4/2 सौरभ जैन पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश, 4/3 रूप कंवर पत्नी श्री ओमप्रकाश जातिगण जैन निवासीगण पुलिस लाईन के सामने, सती माता मंदिर के पास वाली गली, प्रकाश भवन रातानाडा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर 5. बुधराज पुत्र श्री प्रेमराज जाति जैन निवासी हनुमान मंदिर के पास वाली गली, घोड़ो का चौक, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर पुसाराम पुत्र श्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(31)

अन्नाराम
6. पुसाराम पुत्र अनाराम
7. सावलराम पुत्र श्री अन्नाराम
8. थानाराम पुत्र श्री हेमाराम
9. अम्बाराम पुत्र श्री हेमाराम जातिगण जाट निवासीगण तनावड़ा तहसील व जिला जोधपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट (पीठासीन अधिकारी श्री अजय, आर.ए.एस.) के निर्णय डिक्री दिनांक 11.01.2019 जो राजस्व वाद संख्या 40/2018 में पारित किया गया।

उपस्थिति :

अपीलाण्ट की ओर से श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गजेन्द्र दवे, अधिवक्ता
रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 8 की ओर से श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता
शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 11/08/2020

उपरोक्त अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट को न्यायालय की ओर से बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं दस्तावेजो को ध्यान में रखते हुए गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं दस्तावेजो के अनुसार यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा मातहत अदालत के समक्ष एक वाद खातेदारी घोषणा का इस आशय से प्रस्तुत किया कि जैर अपील विवादित आराजी उनके पिता द्वारा पूर्व में विक्रेताओं से अलग अलग से पृथक पृथक बेचान रजिस्ट्री के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त करना जाहिर किया तथा यह भी लिखा की दरबारासिंह ने

(52)

अपनी जीवन काल में पहली पत्नी बसन्त कंवर से विवाह किया था, बसन्त कंवर के सन्तान नहीं होने के कारण उसकी सहमति से वादीगण की माता प्रेमलता कौर से जाति रिति रिवाज अनुसार विवाह किया, जिनकी वादीगण सन्तान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तथ्य अंकित करते हुए खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने वाद में यह भी जाहिर कि कि ओमप्रकाश, प्रेमराज, बुधराज द्वारा आपस में मिलावट कर बसन्तकंवर के स्थान पर किसी अन्य महिला को बसन्तकंवर प्रकट करते हुए सम्पूर्ण भूमि जरिये बेचान रजिस्ट्री अपने नाम दर्ज करवा दी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया, उसमें प्रतिवादीगण के नोटिस विधिवत तामिल नहीं करवाये गये, जिसके कारण अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यदि वाद में अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका मिलता, तो अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते, जवाबदावा पेश करते, जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम होती, उन पर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करते, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। यहां तक कि जो तामीले करवाई गई, वे आनन फानन में विधि विरूद्ध रूप से करवाई गई है, जो विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग हैं। अपीलाण्ट जैर अपील विवादित आराजी पर वक्त खरीद से काबिज काश्त है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी उन्हे खातेदारी अधिकारी दिया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा बिना कब्जे के डिक्री देकर कब्जे का विवाद खडा कर दिया हैं। जहां तक स्वयं वादीगण द्वारा अंकित तथ्यों का प्रश्न है, तो हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पति के पूर्व में पत्नी जीवित है, तो दूसरा विवाह करना कानूनन अवैध हैं। ऐसी औरत से पैदा होने वाली सन्तान भी जायज नहीं होने के कारण उनका इस भूमि में कोई अधिकार विधिक रूप से मान्यता प्रदान किये जाने योग्य नहीं हैं। इससे पूर्व प्रेमकंवर ने बसन्तकंवर के विरूद्ध इसी भूमि को लेकर एक वाद प्रस्तुत किया था, जिसके प्रकरण संख्या 15/77 थे, जो दिनांक 31.10.1977 को निर्णित हो चुका है। इस कारण उसी भूमि को लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दुबारा नहीं सुना जा सकता हैं। वादीगण द्वारा बसंतकंवर का जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, वह भी कूटरचित हैं। अपीलाण्ट को जैर अपील बिवादित आराजी की जानकारी तब हुई, जब उन्होने पटवारी से हल्का से सम्पर्क किया, तो पटवारी ने जैर अपील निर्णय आदि की जानकारी दी, तब अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय एवं पत्रावली की नकले आदि प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है, जो अन्दर मियाद शुमार करवाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को खारिज करावें तथा पत्रावली नये सिरे से अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 09 की ओर से वकील श्री कानाराम गोदारा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट को हाजा न्यायालय द्वारा पक्षकारो को

90/2019

कैलाश सिंघवी बनाम उत्तमजीतसिंह वगैरह

04/10

रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस जारी हुआ, जिस पर उक्त पक्षकारो की ओर से वकील श्री कानाराम गोदारा द्वारा 30 दिवस के भीतर क्रास आब्जेकशन प्रस्तुत किया है, जिससे हमे बतौर अपीलांट के सुना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पक्षकारो को बिना विधिवत नोटिस तामिल करवाये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है– (1) 2005(2) आर.आर.टी 873 (2) 2004 (1)आर.आर.टी 1 (3) 2002 (1) आर.आर.डी 404 (4) 2013 (2) आर.आर.टी 985

रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता दरबारासिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति सिख राजपुत निवासी उदयपुर की खरीदसुदा, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता के द्वारा पूर्व के प्रिसिंपल विक्रेताओं से अलग अलग बेचान रजिस्ट्री के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। दरबारासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में बसन्त कवंर से विवाह किया, जो उनकी प्रथम विवाहिता पत्नी थी, किन्तु बसन्त कंवर से किसी प्रकार की पुत्र/पुत्री संतान प्राप्ति नही होने पर दरबारासिंह जी के द्वारा अपनी पत्नी बसन्त कंवर की सहमति से अपने वंश को कायम रखने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की माता श्रीमती प्रेमलता कौर से माफिक जाति रिति रिवाज एवं समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार विवाह किया। दरबारासिंह जी एवं प्रेमलता कौर के दाम्पत्य जीवन के निर्वहन से तीन जाईन्दा संतान दो पुत्री एवं एक पुत्र का जन्म हुआ, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 हैं। दरबारासिंह जी की निंवसीयती मृत्यु दिनांक 21/01/1975 को हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु से पूर्व बसन्त कंवर का स्वर्गवास दिनांक 05/05/1974 को हो चुका था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की माता श्रीमती प्रेमलता कौर का स्वर्गवास दिनांक 18/8/2017 को हो चुका है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता एवं उनकी दोनो पत्नीयों का स्वर्गवास होने के कारण दरबारासिंह जी की स्व–अर्जित सम्पति की एकमात्र मालिक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अलावा श्री दरबारासिंह जी के कोई अन्य विधिक उतराधिकारी नही हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता के द्वारा वादस्थ कृषि भूमि की काश्त करने हेतु भोग पर दी, जिसका नाजायज फायदा प्राप्त करने हेतु ओमप्रकाश, प्रेमराज एवं बुधराज ने आपस में मिलावट कर दरबारासिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर यह जानते हुए कि दरबारासिंह जी कें अन्य विधिक उतराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 है तथा बसन्त कंवर का स्वर्गवास हो चुका है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ओमप्रकाश, बुधराज व प्रेमराज पुत्र शिवलाल ने बसंत कंवर के स्थान पर किसी अन्य महिला को बसन्त कंवर का प्रतिरूपण कर दरबारासिंह जी की सम्पूर्ण सम्पति की अपने नाम बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवा दी। इस सम्बन्ध में हुए नामान्तरकरण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(34)

90/2019

कैलाश सिंघवी बनाम उत्तमजीतसिंह वगैरह

05/10

अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जहां से उक्त नामान्तरकरण को खारिज़ किया जा चुका हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता दरबारासिंह जी के निंवसीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनकी तमाम सम्पति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का हक एवं अधिकार उत्पन्न हो चुका था। किन्तु अपीलाण्ट्स एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के द्वारा राजस्व अधिकारियो से मिलावट कर फर्जी एवं कूटरचित बेचान रजिस्ट्री के आधार पर एवं दरबारासिंह जी के विधिक वारिसानो को छुपाते हुए सिलसिलेवार विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील विवादित आराजी स्वयं के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाई है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि एक पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह कानूनन मान्य नहीं है तथा दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान का उक्त सम्पति में कोई अधिकार निहित नहीं होता है, यह तथ्य सरासर गलत हैं। हिन्दू विधि तथा प्रचलित सामाजित रिति रिवाज की मान्यता अनुसार अपने वंश वृद्धि हेतु पहली पत्नी की सहमति/स्वीकृति से दूसरा विवाह किया जा सकता है, जिसकी विधिक मान्यता हैं। उस विवाह से उत्पन्न सन्तान भी विधिक होगी, जिसका सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक हिस्सा निर्धारित होता हैं। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह कारित करना उचित नहीं है, फिर भी जहां तक अपीलाण्ट द्वारा प्रक्रिया के दुरूपयोग का जिक्र किया है, उस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। जब अपीलाण्ट जानबूझ कर नोटिस/सम्मन ही नहीं लेना चाह रहे थे तथा तामील से गुरेज कर रहे थे, तब तामील कुनिन्दा द्वारा अन्ततः सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत नोटिस/सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किये गये, जो विधिवत तामिल माने गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अनुशीलन किया। सर्वप्रथम प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 09 द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील पर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है। इस संबध में उक्त पक्षकारान की ओर से वकील श्री कानाराम गोदारा द्वारा अपने कथनो के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 09 को बतौर अपीलांट सुना जाना उचित समझते है। बतौर अपीलांट सुनवाई किये जाने के कारण हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील में पारित मूल जैर अपील निर्णय व डिक्री उक्त पक्षकारान पर बतौर अपीलांट लागू होगी। अब जहां तक गुणवागुण पर निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा वाद प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को अपने पिता दरबारासिंह की स्वअर्जित सम्पति होना बताते हुए स्वयं के नाम खातेदारी अधिकार घोषित कराने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुतोष चाहा है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में निर्विवादित सत्य है कि कि दरबारासिंह के दो पत्नियां थी, इस तथ्य को अपीलाण्ट अपने अपील के 4 पेज एवं रेस्पोडेन्ट स्वीकार करते हैं। एवं दरबारसिंह की दूसरी पत्नी से रेस्पोडेन्ट 01 से 03 पैदा हुए, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 दरबारसिंह के विधिक वारिसान हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायात 03 दरबारसिंह का वारिसान होने के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 को दरबारसिंह का विधिक वारिसान माना है। वकील अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु प्रकट किया है कि स्व. दरबारासिंह ने अपनी प्रथम पत्नी बसंतकौर के जीवित रहते हुए प्रेमलताकौर से विवाह किया गया था एवं प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए या तलाक लिये बिना अथवा सहमति के बिना की गई दूसरी शादी कानूनन वैध नहीं है, जिससे दूसरे विवाह से उत्पन्न संतानो का दरबारसिंह की संपति कोई अधिकार नहीं है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित विनिर्णयो एवं Revanassiddappa & Anr vs Mallikarjaun & Ors में यह प्रतिपादित किया गया है कि **अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या बिना प्रथम पत्नी से तलाक लिये किसी अन्य से महिला से दूसरा विवाह करता है तो दूसरी पत्नी से पैदा होने वाली संताने वैध होगी एवं ऐसी संतानो को हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 16 के तहत अपने पिता की संपति में पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।** हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 दरबारसिंह की दूसरी पत्नी प्रेमलताकौर से उत्पन्न हुई संताने है एवं दरबारसिंह के वारिसान होने के संबध मे रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजात प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर दरबारसिंह की दूसरी पत्नी की संताने मानते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने हाजा न्यायालय के समक्ष बसंतकौर के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर बसंतकौर की मृत्यु अलग–अलग वर्षो में होने का दावा किया है। इस संबध में हाजा न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसके अनुसार श्री मति रूपीबाई पति स्व. श्री दरबारासिंह की मृत्यु की दिनांक 28.08.1998 एवं स्थान उदयपुर अंकित है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची वर्ष 1975 की प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त रूपा कौर के संबध में एक दावा सन 1977 में एस.डी.ओ (प्रशिक्षु) पाली में चला, उसकी प्रति प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त बसंत कौर उर्फ रूपा दोनो एक ही महिला है तथा बसंत कौर उर्फ रूपा के गांव खारडा तहसील रोहट जिला में कृषि भूमि स्थित था, इस संबध में भंवर देवासी पुत्र पाबुजी देवासी निवासी खारडा एवं डूंगराराम मेघवाली पुत्र रावतराम मेघवाल निवासी खारडा तहसील रोहट का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि के पास उक्त रूपीबाई की भूमि आई होना जाहिर किया है एवं रूपीबाई को मीणा एवं बसंत कौर की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाति सिक्ख बताते हुए दोनो अलग–अलग महिला होने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा जो मतदाता सूची प्रस्तुत की गई है उक्त मतदाता सूची वर्ष 1955 में रूप कौर/दरबारासिंह उम्र 90 वर्ष लिखा हुआ है तथा अपीलांट के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1975 में बसन्त कौर/दरबारसिंह उम्र 59 वर्ष लिखा हुआ है, जबकि 1975 की नामावली में दरबारसिंह/ईश्वरसिंह, बसन्त कौर/दरबारसिंह, प्रेमकंवर/दरबारसिंह लिखा हुआ है, जबकि 1975 की नामावली में कही पर भी रूप कौर/दरबारसिंह अंकित नहीं है, न ही बसन्त कौर उर्फ रूप कौर लिखा हुआ है, हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि रूप कौर एवं बसंत कौर दोनो अलग–अलग महिलाएं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है वह रूपीबाई का प्रस्तुत किया है एवं रूपीबाई की मृत्यु दिनांक 28.09.1998 अंकित की हुई है। रूपीबाई पत्नी दरबारसिंह जाति मीणा है, जबकि बसंतकौर पत्नी दरबारसिंह जाति सिख राजपूत है तथा बसन्त कौर की मृत्यु प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार दिनांक 05.05.1974 को हुई, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष जो दावे की प्रतियां प्रस्तुत की है उक्त दावे प्रेमकौर द्वारा श्रीमति रूपा पत्नी दरबारसिंह जाति मीणा के विरूद्ध प्रस्तुत किये है ना कि बसंतकौर पत्नी दरबारसिंह जाति सिख के विरूद्ध प्रस्तुत किये है। एवं दावा सन 1977 में एस.डी.ओ (प्रशिक्षु) पाली के समक्ष चला उसकी प्रति प्रस्तुत की है, जो कि अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जिससे उक्त दावे के संबध में पूर्णतया स्थिति इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाई है। उक्त समस्त दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि रूपीबाई एवं बसंतकौर दोनो अलग–अलग महिला थी। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेजो के संबध में अगर किसी पक्षकार का उज्र आपत्ति है तो वे राजकीय सक्षम जांच ऐजेन्सी से जांच करवाने एवं सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने बाबत स्वतंत्र है। बाद जांच अगर किसी उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी साबित होते है तो इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री उक्त जांच के अध्याधीन होगा। हाजा न्यायालय द्वारा केवल मात्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर रूपीबाई एवं बसंतकौर को अलग–अलग महिला माना है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में जो रजिस्ट्री प्रस्तुत की है, उसके अन्तर्गत बसंतकौर ने वादग्रस्त आराजी को अपनी खरीदशुदा आराजी बताया है, परन्तु बसंतकौर ने उक्त आराजी किससे खरीद की है, इस संबध में कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात जो कि दरबारसिंह द्वारा खरीद की गई थी, के संबध में संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी दरबारसिंह की स्वअर्जित आराजी थी। दरबारसिंह की दूसरी पत्नी एवं उसकी संतान के जीवित रहते फौतेदगी म्यूटेशन में इनका नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 689 के द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

90/2019

कैलाश सिंघवी बनाम उत्तमजीतसिंह वगैरह

08/10

07/10फौतेदगी एवं बेचान का इन्द्राज साथ–साथ किया गया है जो कि संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी आराजी में किसी भी विधिक हिस्सेदार को अपने हिस्से से अधिक आराजी बेचान करने का अधिकार नहीं है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में बसंतकौर ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम कानून द्वारा निर्धारित हिस्से से ज्यादा आराजी का बेचान किया है जो कि हिन्दू उतराधिकार विधि का (VIOLATION) उल्लघंन है। उक्त कृत्य भी प्रकरण में संदेह पैदा करता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में उक्त बिन्दु उठाये है–

1. क्या सम्मन तामील अनुचित रिती से की गई हैं ?
2. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया ?
3. क्या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद विचारण की प्रक्रिया हुई, उसमें विधिक त्रुटी कारित हुई हैं ?

जहां तक बिन्दु संख्या 1 व 2 का प्रश्न है, ये दोनों ही बिन्दु आपस में Connected होने के कारण इन पर हमारा जो अभिमत है, वह इस प्रकार है कि – अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असालतन एवं वकालतन उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अब जहां तक सम्मन तामील की प्रक्रिया का प्रश्न है, उसे रेखांकित किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है कि रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की प्रक्रिया विहित है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण विचारित हुआ, उसमें प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किये गये है। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 17 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उनका उद्धरण इस प्रकार है – "आदेश 5 नियम 17 – जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया –– जहॉ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।" चूंकि प्रकरण हाजा में तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन दो गवाहों की मौजूदगी में आबाद मकान पर चस्पा कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रेषित की है, इसके पश्चात भी न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें विधि की कोई त्रुटी आलेख पर दर्शित नहीं होती हैं।

जहां तक बिन्दु संख्या 3 का प्रश्न है, तो वह न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावित करने वाला हैं। सामान्य अथवा विशिष्ठ, कोई भी प्रावधान हो, न्यायिक प्रक्रिया संबंधित नियमों, उप नियमों एवं विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही अमल में लाई जाने की मंशा कानून की हैं। जहां तक वाद की प्रक्रिया का प्रश्न है, तो वाद प्रमुखतः दायरा, तामीली, जवाब, जवाबुल जवाब, दस्तावेजात् को स्वीकार/अस्वीकार किया जाना, तनकीयात कायम करना, साक्ष्य वादी, जिरह, साक्ष्य प्रतिवादी, जिरह, बहस एवं अन्य में निर्णय की प्रक्रिया प्रावधित है, इन प्रक्रिया को नियमों मे विहित दायरे में रखा गया है तथा प्रत्येक प्रक्रिया हेतु पृथक नियम प्रावधित हैं। इस नियमों की परिधि में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपनायी गई प्रक्रिया को जांचने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि जहां तक तामीली का प्रश्न है, तो जैसा कि उपरोक्त पदों में स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से विवेचित किया जाता चुका है, कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में तामीली कार्यवाही हेतु, उसमें किसी भी विधिक प्रावधान को दरकिनार नहीं किया गया हैं। जब प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए, तो न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष ही नहीं रह जाता हैं। तद्नुसार न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय क़ार्यवाही करते हुए साक्ष्य, सबूतों को दृष्टिगत रखते हुए विधिक बिन्दु निर्धारित करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। यदि किसी हद तक न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटी शेष भी रह गई, हो तो, उस हेतु पक्षकारान् को तो दण्डित नहीं किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(39)

90/2019

कैलाश सिंघवी बनाम उत्तमजीतसिंह वगैरह

09/10

बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटी नहीं है, किन्तु यदि हो भी गई हो, तो उपरोक्तानुसार उक्त त्रुटी के लिये पक्षकार के अधिकार प्रभावित नहीं किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिससे अपीलांट को हाजा न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ, किन्तु हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दस्तावेजो के अभाव में सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2019 की यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/08/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

(५७)

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 90/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कैलाशमल सिंघवी 2. महेन्द्रमल सिंघवी 3. सुरेशमल सिंघवी पुत्रगण मुन्नीलाल जी सिंघवी जातिगण जैन ओसवाल निवासीगण झ, भगत की कोटी विस्तार, पाली रोड़ जोधपुर। 4. कंचन मेहता पुत्री श्री मुन्नीलाल जी 5. रूचि जैन पुत्री श्री कैलाश सिंघवी 6. विमला सिंघवी पत्नी श्री रमेश सिंघवी 7. राहुल सिंघवी 8. रौनक सिंघवी 9. रौनम सिंघवी पुत्रगण रमेश सिंघवी जातिगण ओसवाल जैन निवासीगण झ, 4 भगत की कोटी, पाली रोड़, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर		1. उतमजीतसिंह पुत्र श्री दरबारा सिंह जाति सिख राजपुत निवासी 119, ज्योति नगर, 100 फीट रोड़ पार्क के पास, शोभागपुरा गिर्वा उदयपुर राजस्थान। 2. मनप्रित कौर पुत्री श्री दरबारा सिंह पत्नी श्री हरपालसिंह जाति सिख राजपुत निवासी अशोक नगर, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर राजस्थान। 3. परमजीत कौर पुत्री श्री दरबारा सिंह जाति सिख राजपुत निवासी अशोक नगर, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर राज 4. स्व. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रेमराज जाति जैन निवासी जोधपुर के उतराधिकारी वारिसान 4/1 संजय जैन पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश, 4/2 सौरभ जैन पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश, 4/3 रूप कंवर पत्नी श्री ओमप्रकाश जातिगण जैन निवासीगण पुलिस लाईन के सामने, सती माता मंदिर के पास वाली गली, प्रकाश भवन रातानाडा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर 5. बुधराज पुत्र श्री प्रेमराज जाति जैन निवासी हनुमान मंदिर के पास वाली गली, घोड़ो का चौक, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर पुसाराम पुत्र श्रीअन्नाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

6. पुसाराम पुत्र अनाराम
7. सावलराम पुत्र श्री अन्नाराम
8. थानाराम पुत्र श्री हेमाराम
9. अम्बाराम पुत्र श्री हेमाराम
   जातिगण जाट निवासीगण तनावड़ा तहसील व जिला जोधपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट (पीठासीन अधिकारी श्री अजय, आर.ए.एस.) के निर्णय डिक्री दिनांक 11.01.2019 जो राजस्व वाद संख्या 40/2018 में पारित किया गया।

उपस्थिति :

अपीलाण्ट की ओर से श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गजेन्द्र दवे, अधिवक्ता
रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 8 की ओर से श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता
शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दस्तावेजो के अभाव में सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2019 की यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली